यह निरीक्षण प्रतिवेदन **सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धारचूला, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धारचूला, पिथौरागढ़ के माह सितंबर 2014 से जनवरी 2019 तक के लेखा अभिलेखो की जांच श्री भानु प्रताप सिंह एवं अनूप चौहान , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.02.2019 से 05.03.2019 तक श्री ए. सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी।

भाग-1

परिचयात्मकः यह कार्यालय की प्रथम लेखा परीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2014 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओ से संबन्धित जैसे जन्म केंद्र, इम्मुनाइजेशन आदि कार्य किया जाता है। इसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण प्रखण्ड धारचूला है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2016-17	-	-	476.54	74.88	401.66	87.97	87.21	0.76
2017-18	-	-	476.64	35.55	441.09	78.40	78.14	0.26
2018-19 (up to 01/2019)	-	-	515.03	312.19	202.84	103.40	58.73	44.67

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

योजना का नाम	2016-17		2017-18		2018-19	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
RCH	55.18	52.79	22.22	17.27	42.87	22.17
NRHM	28.91	25.77	50.65	48.84	61.18	34.64
IMUUNIZATION	9.85	8.82	12.26	12.02	6.35	1.93

(iii) इकाई को बजट आवंटन महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहारादून से प्राप्त होता है गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई (स) श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

सचिव,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ महानिदेशक चिकत्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण देहारादून → मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ → चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला पिथौरागढ़ को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2016 और 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। योजनाओं का चयन किये गए व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (DPC Act, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -2(ब)

प्रस्तर-1 चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मियों के पद रिक्त रहने के कारण रु 18.32 लाख मूल्य के चिकित्सकीय उपकरणों के अप्रयुक्त पड़े रहने के साथ-साथ ज़रूरतमन्द लोगों का चिकित्सकीय सुविधा से वंचित रहना।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धारचूला, पिथौरागढ़ के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धारचूला को वर्ष 2016-17 के दौरान कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़ के द्वारा निम्नानुसार ₹ 18.32 लाख मूल्य के चिकित्सकीय उपकरणों की आपूर्ति की गई थी:

(Amount in lakh)

Sl. N.	Name of medical equipments	Date of receipt in CHC	Quantity	Cost of medical equipments	Amount
1	Computed Radiography System	06.08.16	01	14.60 + (CST 5%)	15.33
2	Semi Auto Analyser-Star-20	09.12.16	02	1.43each+(5% VAT)	2.99
Total					18.32

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि इकाई स्तर पर उक्त चिकित्सकीय उपकरणों को संचालित करते हुए चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने वाले चिकित्सक /कर्मचारी जैसे फिजीशियन, सर्जन, पैथोलोजिस्ट, रेडिओलोजिस्ट,निश्चेतक, एक्सरे टेक्नीशियन, डार्क रूम सहायक,चीफ फार्मेसिस्ट के पद रिक्त पड़े होने के कारण एक तरफ तो रु 18.32 लाख मूल्य के उक्त चिकित्सकीय उपकरण तीन वर्षों की अवधि से अप्रयुक्त ही पड़े थे वहीं दूसरी तरफ पिथौरागढ़ जनपद के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र धारचूला में संचालित एकमात्र चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धारचूला, जहां प्रतिदिन औसतन एक से दो प्रसव कराये जाते हैं, द्वारा क्षेत्र की जरूरतमन्द जनता को अल्ट्रासाउंड एवं अन्य चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकने के कारण 2016-19 की अवधि में प्रसव से संबन्धित 71 प्रकरणों को उच्च सुविधा वाले केन्द्रों को संदर्भित करना पड़ा।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा स्वीकार किया गया कि इकाई स्तर पर फिजीशियन, सर्जन, पैथोलोजिस्ट, रेडिओलोजिस्ट,निश्चेतक, एक्सरे टेक्नीशियन, डार्क रूम सहायक,चीफ फार्मेसिस्ट के पद रिक्त होने के कारण उक्त चिकित्सकीय उपकरण क्रियाशील नहीं हो पाये।

अतः चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मियों के पद रिक्त रहने के कारण रु 18.32 लाख मूल्य के चिकित्सकीय उपकरणों के तीन वर्षों से अप्रयुक्त पड़े रहने के साथ-साथ ज़रूरतमन्द लोगों का चिकित्सकीय सुविधा से वंचित रहने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -2(ब)

प्रस्तर-2 राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत रु 22.61 लाख की धनराशि व्यय किए जाने के बावजूद नवजात बच्चों को तीन अतिआवश्यक जीवन रक्षक टीके न दिये जाना।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धारचूला के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धारचूला स्तर पर वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि में जन्म लेने वाले सभी नवजात बच्चों को जन्म के समय दिये जाने वाले तीन अतिआवश्यक जीवन रक्षक टीके (बी सी जी, ओ पी वी (जीरो डोज़) एवं हेपीटाइटिस-बी) निम्नानुसार नहीं दिये गए थे:

Table-1

Sl. No.	Components	2016-17	2017-18	2018-19
1	Number of deliveries conducted at CHC	434	428	338
2	Number of male live births at CHC	217	226	177
3	Number of female live births at CHC	215	198	160
4	Total no. of male and female live births at CHC	432	424	337
5	Total no. of still birth at CHC	02	04	01

Table-2

Sl. No.	Name of the Programme/ Component	2016-17		2017-18		2018-19	
		No. of newly born infants	No. of infants administered vaccines	No. of newly born infants	No. of infants administered vaccines	No. of newly born infants	No. of infants administered vaccines
1	B C G	432	106	424	108	337	95
2	OPV (0 dose)	432	398	424	405	337	331
3	Hep-B (Birth dose)	432	398	424	405	337	339

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धारचूला स्तर पर वर्ष 2016-17 से 2018-19 (जनवरी 19) तक की अवधि में जन्म लेने वाले 1193 नवजात बच्चों को जन्म के समय दिये जाने वाले अतिआवश्यक टीकों में से बी सी जी का टीका मात्र 26 प्रतिशत बच्चों को दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि 74 प्रतिशत बच्चे उक्त टीके से वंचित रहे। उपरोक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि उक्त अवधि में ओ पी वी (जीरो डोज़) एवं हेपीटाइटिस-बी के टीके भी शत-प्रतिशत बच्चों को नहीं दिये गए थे। जबकि उक्त अवधि में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धारचूला स्तर पर वर्ष 2016-17 से 2018-19 (जनवरी 19) तक की अवधि में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 22.61 लाख की धनराशि व्यय की गई।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर औसतन एक से दो प्रसव प्रतिदिन कराये जाते हैं एवं बी सी जी की एक वायल में 10 खुराक होती है इस प्रकार दो बच्चों को खुराक देने के बाद शेष आठ खुराक खराब हो जाती है। इसलिए अधिकांश बच्चों को जन्म के समय बी सी जी की खुराक नहीं दी जाती है परंतु लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात भविष्य में सभी नवजात शिशुओं को बी सी जी की खुराक दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा एवं अन्य दो टीके भी शत-प्रतिशत बच्चों को दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इकाई स्तर पर नवजात शिशुओं को अतिआवश्यक जीवन रक्षक टीके दिये जाने के बजाय टीकों को खराब होने से बचाने को प्राथमिकता दी गई जो कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ₹ 22.61 लाख की धनराशि व्यय किए जाने के बावजूद नवजात बच्चों को तीन अतिआवश्यक जीवन रक्षक टीके न दिये जाने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -2(ब)

प्रस्तर :3- जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 240 लाभार्थियो का रुपए 3.36 लाख का भुगतान लंबित रहना ।

जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ 2005-06 में हुआ था जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रसव की संभावित तिथि के 16 से 20 सप्ताह पूर्व जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिये , प्रसव की संभावित तिथि से पूर्व पूर्ण भरे हुए जे0एस0वाई0 कार्ड स्वास्थ केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए साथ ही प्रसव के सात दिन पूर्व अथवा प्रसव के दिन तक लाभार्थी को रू 1400/- भुगतान किया जाना चाहिए इसके बाद किया गया भुगतान अवैध माना जायेगा।

कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र धारचूला के वर्ष 2017-18 से 2018-19 जननी सुरक्षा योजना से संबंधित लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि

वर्ष	**ग्रामीण प्रसव**	**भुगतान किये गये लाभार्थियों की संख्या**	**भुगतानित धनराशि (लाख में)**	**भुगतान हेतु लंबित लाभार्थियों की संख्या**	**भुगतान हेतु लंबित धनराशि (लाख में)**
2017-18	527	438	6.13	89	1.25
2018-19	369	218	3.05	151	2.11
कुल	896	656	9.18	240	3.36

उक्त विवरण के अनुसार 896 ग्रामीण प्रसव हुए जिनके सापेक्ष 656 ग्रामीण प्रसव का रुपये 9.18 लाख भुगतान किया गया जबकि 240 ग्रामीण प्रसव का कुल भुगतान रुपये 3.36 लाख का भुगतान (02/2019 तक) शेष था ।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया लाभार्थियो के खाता न मिल पाने/ गलत मिल जाने के कारण अवशेष था। उत्तर मान्य नही था क्योकि आशा को प्रोत्साहन राशि इसी हेतु प्रदान की जाती है कि लाभार्थियों को योजना से संबन्धित सारी जानकारी प्रदान कराये ।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 240 लाभार्थियो का ₹ 3.36 लाख का भुगतान लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित पस्तरों का विवरण निम्नवत है:

प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर	भाग-दो (ब) प्रस्तर	प्रतिपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
प्रथम लेखापरीक्षा			

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला पिथौरागढ़ तथा उनके कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 एम0 के0 जायसवाल	चिकित्सा अधीक्षक	09/14 से 01/2019

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजकि क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकर भवन, कौलगढ़, देहरादून 248195 को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.